रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250333
CG-DL-E-30112023-250333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 686] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023

सा.का.नि.869(अ)—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वन (संरक्षण) नियम, 2022, को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 है।

(2) ये 1 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) ''प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण'' से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सक्रिय वनीकरण की एक प्रणाली अभिप्रेत है;

(ख) ''अधिनियम'' से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है;

(ग) ''परामर्शदात्री समिति'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति अभिप्रेत है;

(घ) ''प्रतिपूरक वनीकरण'' से अधिनियम के अधीन वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन की एवज में किया गया वनीकरण अभिप्रेत है;

(ड़) ''प्रतिपूरक उद्ग्रहण'' में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा 3 के खंड (iii) और खंड (iv) में विनिर्दिष्ट सभी धनराशियां और निधियां सम्मिलित हैं;

(च) ''वन संरक्षक'' से वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक या वन भूमि पर अधिकारिकता, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, रखने वाले अधिकारी द्वारा वन सर्कल का कार्यभार ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रक्षाशन द्वारा नियुक्त वन संरक्षक के समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''उप-वन महानिदेशक (केन्द्रीय)'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है।

(ज) ''अनारक्षण'' से वन के रूप में कानूनी रूप से या अन्यथा मान्यताप्राप्त की गई भूमि की विधिक प्रास्थिति को भूमि के किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और उसके किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;

(झ) ''अपयोजन'' से किसी वन भूमि के उपयोग को वनेतर प्रयोजन या किसी वन भूमि के पट्टे को वनेतर प्रयोजन हेतु समनुदेशन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या उसके किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ञ) ''जिला कलेक्टर'' उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिकता रखने वाले राजस्व जिले के प्रशासन का प्रभार धारण करने के लिए उप-आयुक्त सम्मिलित हैं।

(ट) ''प्रभागीय वन अधिकारी'' से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप-वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी या उप-वन संरक्षक के समकक्ष कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिकता रखने वाले वन प्रभाग का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(ठ) ''भूमि बैंक'' से अधिनियम के अधीन अपयोजन के लिए प्रस्तावित या अपयोजित वन भूमि की एवज में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथास्थिति भूमि को अभिज्ञात या चिन्हित करना अभिप्रेत है;

(ड) ''संरेखीय परियोजना'' से ऐसी परियोजनाएं अभिप्रेत हैं जिनमें सड़कों, पाइप लाइनों, रेलवे, पारेषण लाइनों, गारे की पाइपलाइन, प्रहवणी बेल्ट आदि के प्रयोजन के लिए वन भूमि का संरेखीय अपयोजन सम्मिलित है;

(ढ) ''राष्ट्रीय कार्य-योजना कोड'' से कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया गया कोड अभिप्रेत है;

(ण) ''नोडल अधिकारी'' से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को क्रियान्वित करने और वन संरक्षण के मामलों पर कार्रवाई करने वाला और केन्द्रीय सरकार से इस मामले में पत्राचार करने के प्रयोजन के लिए, यदि विभाग में मुख्य वन संरक्षक या उससे ऊपर का पद नहीं हो यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो मुख्य वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो, या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग में ज्येष्ठतम अधिकारी हो;

(त) ''परियोजना जांच समिति'' से नियम 8 के अधीन गठित परियोजना जांच समिति अभिप्रेत है;

'क्षेत्रीय सशक्त समिति'' से नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन गठित की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(थ) ''क्षेत्रीय कार्यालय'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, और नियंत्रित क्षेत्रीय कार्यालय अभिप्रेत है;

(द) ''सर्वेक्षण'' से किसी परियोजना के आरंभ से पूर्व किया गया कोई कार्यकालाप या वन भूमि में वास्तविक खनन कार्य करने से पूर्व खनिज भंडारों कि खोज, अवस्थिति या भंडार जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी है को साबित करने के संयोजन के लिए किये गए कार्यकालाप जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, अन्वेषण, पूर्वेक्षण सहित ड्रिल करना भी शामिल है, अभिप्रेत है;

(ध) "प्रौद्योगिक उपकरण" से अधिनियम के अधीन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए 'निर्णय समर्थन तंत्र' (डीएसएस) जैसे भगौलीक सूचना प्रणाली आधारित डिजिटल उपकरणों से अभिप्रेत है।

(न) ''प्रयोक्ता अधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 1 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन या कानूनी इकाई या कंपनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग है;

(प) "कार्य की अनुमति" से ब्लैक टॉपिंग, कंक्रीट बिछाने, रेलवे ट्रैक बिछाने, ट्रांसमिशन लाइनों को चार्ज करने आदि के अतिरिक्त प्रारंभिक परियोजना कार्य आरंभ करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु अंतिम अनुमोदन देने के पूर्व रैखिक परियोजनाओं को दी गई या 'सैधांतिक' अनुमोदन में यथा-निर्दिष्ट अनुमति से अभिप्रेत है;

(फ) ''कार्य योजना'' से समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया दस्तावेज और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट वन प्रभाग के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए निर्धारित निर्देश सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमश: उन्हें दिया गया है।

3. परामर्शदात्री समिति का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, नियम 10 के उपनियम (5) के उप खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए और वनों के संरक्षण से संबंधित कोई मामला जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति को निर्दिष्ट किया गया है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन कर सकती है:-

(2) परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात :-

(क) वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष;

(ख) अपर वन महानिदेशक, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन संरक्षण से संबंधित कार्य देख रहे हैं - सदस्य;

(ग) अपर वन महानिदेशक, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव से संबंधित कार्य देख रहे हैं - सदस्य;

(घ) अपर आयुक्त (मृदा संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय - सदस्य;

(ङ) पारिस्थितिकी, इंजीनियरिंग और आर्थिक विकास अर्थशास्त्र क्षेत्रों से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन गैर शासकीय विशेषज्ञ - गैर-सरकारी सदस्य;

(च) वन संरक्षण और उसके अधिनियम के संबंध में कार्रवाई कर रहे वन महानिरीक्षक - सदस्य-सचिव

(3) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक में किसी भी डोमेन विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

(4) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में अपर वन महानिदेशक, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन संरक्षण से संबंधित कार्य देख रहे बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

4. परामर्शदात्री समिति के गैर शासकीय सदस्यों के लिए निबंधन और शर्तें :—

(1) गैर-शासकीय सदस्य के अपने कार्यकाल की अवधि अपने नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष तक होगी या जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई है;

(2) एक गैर- शासकीय सदस्य का यदि विकृत चित्त या दिवालिया या किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, में दोष सिद्ध होने की दशा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

(3) यदि कोई गैर-शासकीय सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से परामर्शदात्री समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल राहत है ता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

(4) खंड (2) और (3) में बताए गए कारणों के द्वारा यदि कोई रिक्ति होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की शेष अवधि के लिए भर लिया जाएगा;

(5) परामर्शदात्री समिति के गैर-शासकीय सदस्य उस यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होगा जो समूह 'क' के पद धारण करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को ग्राहय होगा ;

IndiaCode

(6) परंतु जहां संसद के सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य को परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां वह यथास्थिति संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा।

5. परामर्शदात्री समिति के कार्यों का संचालन:—

(1) परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, परामर्शदात्री समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार बुला सकता है।

(2) परामर्शदात्री समिति की बैठक सामान्यता नई दिल्ली में होगी सिवाय इसके कि जब अध्यक्ष प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करना आवश्यक समझे तो वह उस स्थान पर बैठक आयोजित करने का निदेश दे सकता है जहां से प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) परामर्शदात्री समिति की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित पांच होगी।

(4) सदस्य सचिव बैठक की कार्य-सूची तैयार करेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति को निर्दिष्ट प्रस्तावों और विषयों को प्रस्तुत करेंगे।

(5) परामर्शदात्री समिति अपनी बैठक में प्रस्ताव या विषयों की जांच करेगी और, तत्काल मामलों में, अध्यक्ष उस प्रस्ताव या विषय को सदस्यों को उनके विचारार्थ प्रेषित करने का निदेश दे सकता है, जो निर्धारित समय के भीतर समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) प्रयोक्ता अधिकरण को ऐसी अवधि के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है जो उनसे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो।

(7) प्रस्ताव या विषयों की जांच के पश्चात्, परामर्शदात्री समिति केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश/परामर्श देगी।

6. क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन - (1) केन्द्रीय सरकार, नियम 10 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट प्रस्तावों की जांच करने तथा धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में आदेश द्वारा एक क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन कर सकेगी।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय सशक्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - अध्यक्ष;

(ख) ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से, जो वानिकी और सहायक विषयों के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, तीन गैर- शासकीय सदस्य - सदस्य;

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक रैंक के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य सचिव

(3) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष बैठक के लिए विशेष आमंत्रितों के रूप में डोमेन विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है

(4) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वन विभाग और राजस्व विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे का न हो, को क्षेत्रीय सशक्त समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(5) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-शासकीय सदस्यों के निबंधन और शर्तें :—

(1) एक गैर-शासकीय सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(2) एक गैर-शासकीय सदस्य को यदि विकृत चित्त, दिवालिया या एक ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित है, की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

(3) यदि कोई गैर- शासकीय सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल राहत है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

IndiaCode

(4) उप नियम (2) और (3) में वर्णित किसी कारण के फलस्वरूप यदि क्षेत्रीय सशक्त समिति में सदस्य की कोई रिक्ति होती है तो उसे केंद्रीय सरकार उस सदस्य की शेष अवधि के लिए भर लिया जाएगा, जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है;

(5) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतनमान वाले समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के एक अधिकारी के लिए ग्राहय है ;

(6) परंतु जहां संसद के सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य क्षेत्रीय सशक्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां वह यथास्थिति संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा।

7. क्षेत्रीय सशक्त समिति के कार्यों का संचालन:—सलाहकार समिति अपना कार्य निम्नानुसार संचालित करेगी, अर्थात्:-

(1) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, समिति की बैठक आयोजित कर सकता हैं, जो माह में एक बार से कम नहीं हो;

(2) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी:

परंतु क्षेत्रीय सशक्त समिति के अध्यक्ष जहां इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान का जिनका वनेत्तर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया प्रस्तावित है, का निरीक्षण आवश्यक या निर्दिष्ट प्रस्ताव के संबंध में विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो स्थल के ऐसे निरीक्षण के लिए यह क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में न करके अन्य स्थान पर करने के निदेश दे सकते हैं;

(3) अध्यक्ष क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभार संभालने वाला उप वन महानिदेशक या अधिनियम से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाला वन महानिरीक्षक, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

(4) क्षेत्रीय सशक्त समिति को सलाह या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट प्रत्येक प्रस्ताव पर क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

परंतु शीघ्रता वाले मामलों में, क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष निदेश दे सकेगा कि दस्तावेजों को परिचालित किया जाए और क्षेत्रीय सशक्त समिति के सदस्यों को अनुबद्ध समय के भीतर उनकी राय के लिए भेजा जाए।

(5) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी;

(6) प्रयोक्ता अभिकरण को बैठक के दौरान ऐसी अवधि के लिए उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जो इससे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो।

(7) सदस्य सचिव बैठक की कार्यसूची तैयार करेंगे और अधिनियम से जुड़े प्रस्तावों और विषयों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात उचित सिफारिशें तथा निर्णय लिए जा सकें।

8. परियोजना जांच समिति का गठन:—(1) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i), खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जांच करने के लिए एक परियोजना जांच समिति का गठन कर सकते हैं।

(2) परियोजना जांच समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(क) नोडल अधिकारी- अध्यक्ष;

(ख) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनसंरक्षक - सदस्य;

(ग) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी - सदस्य;

(घ) संबंधित जिला क्लेक्टर और उनके प्रतिनिधि, (डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं) - सदस्य;

(ङ) नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी - सदस्य - सचिव

(3) परियोजना जांच समिति की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जांच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) परियोजना जांच समिति, प्रस्तावों की जांच के पश्चात, यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगी।

9. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिये प्रस्ताव:—(1) केन्द्रीय सरकार अपना अनुमोदन दो चरणों में दिया करेगी, अर्थात (i) 'सैद्धांतिक' अनुमोदन; और (ii) 'अंतिम' अनुमोदन।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन वन भूमि के अनारक्षण, वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग या पट्टे के लिए केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन समनुदेशन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के लिए एक प्रस्ताव पहचान संख्या को ऑनलाइन 'जेनरेट' किया जाएगा और उक्त पहचान संख्या का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा।

(4) प्रस्ताव की एक प्रति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित वनमंडल अधिकारी, जिला कलेक्टर, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी को भी साथ-साथ अग्रेषित की जाएगी और उनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के प्रलेखन की पूर्णता की प्रारंभिक जांच स्वतंत्र रूप से करेगा।

(5) परियोजना जांच समिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों के सिवाय, जांच करेगी कि प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण है और प्रस्तावित कार्यकलाप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या प्रवर्ग में नहीं है।

(6) परियोजना जांच समिति, स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को बुला सकती है।

(7) परियोजना जांच समिति प्रस्ताव की पूर्णता और शुद्धता के लिए जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव में कमियां, यदि कोई हों, तो उसकी पहचान की जाए और सदस्य-सचिव इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित करेगा।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण को लौटाए गए प्रस्तावों को नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त उप नियम (7) के अधीन अभिज्ञात कमी को दूर करने के पश्चात फिर से प्रस्तुत किया जा सकेगा, ऐसा न हो पाने पर प्रस्ताव को सूची से हटा दिया जाएगा।

(9) यदि प्रयोक्ता अभिकरण दिए गए समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत करती है, तो परियोजना जांच समिति द्वारा प्रस्ताव की फिर से जांच की जाएगी और यदि प्रस्ताव सभी दृष्टि से पूरा नहीं पाया जाता है, तो कारणो को लेखबद्ध कर उसे सूची से हटा दिया जाएगा:

परंतु यह कि परियोजना जांच समिति द्वारा प्रस्ताव को सूची से हटाने के पश्चात, प्रयोक्ता अभिकरण, कमियों को संबोधित करने के बाद, उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन उत्पन्न उसी प्रस्ताव पहचान संख्या का उपयोग करके केवल एक बार प्रस्ताव को फिर से सूचीबद्ध कर सकती है, जो फिर उपरोक्त उपनियम (5) से (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार परियोजना जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी और यदि प्रस्ताव अभी भी अपूर्ण पाया जाता है, तो इसे अस्वीकार किया जाएगा और इसका पोर्टल से स्थायी रूप से लोप किया जाएगा।

(10) परियोजना पहचान संख्या के साथ पूर्ण प्रस्ताव संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्र सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(11) जहां प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि या उसका कोई भाग वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण के अधीन नहीं है, वहां जिला कलेक्टर राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणीकृत प्रस्ताव में प्रमाणित सम्मिलित वन भूमि की भूमि अनुसूची और नक्शा प्राप्त करेंगे।

(12) इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र में सत्यापित प्रत्येक प्रस्ताव, जिसमें 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि सम्मिलित है तो उसे संबंधित वन संरक्षक द्वारा और यदि प्रस्ताव में सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि; सम्मिलित है तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा।

(13) पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों के सिवाय, उप नियम (8) या (9) के अधीन पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परियोजना जांच समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और परियोजना जांच समिति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले उपशमन उपायों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश करने के प्रयोजन से प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करेगी:

परंतु, परियोजना जांच समिति, वन भूमि की आवश्यकता को कम करने या वन और वन्यजीवों, पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में परिवर्तन या परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंगीकार किए गए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में परिवर्तन, जैसे कारणों से अपयोजन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में परिवर्तन के संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से कोई स्पष्टीकरण, अतिरिक्त विवरण या उपांतरण की मांग कर सकती है, और इस प्रयोजन लिए यह प्रयोक्ता अभिकरण को एक प्रस्तुति देने के लिए कह सकती है:

परंतु यह और कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समय पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करने की स्थिति में परियोजना संचालन समिति द्वारा प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा और यदि प्रयोक्ता अभिकरण मूल प्रस्ताव को पर्याप्त रूप से संशोधित करती है और वन भूमि या भूमि उपयोग योजना में परिवर्तन जैसे बड़े बदलाव करती है, तो परियोजना संचालन समिति उप नियम (7) से उपनियम (11) में दिए गए चरणों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव को वापस कर सकती है और इसलिए ऐसे मामलों में इस उप नियम के चरणों को भी दोहराया जाएगा।

(14) जहां प्रयोक्ता अभिकरण यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर सही सूचना, अतिरिक्त विवरण या उपांतरित प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहती है, प्रस्ताव अस्वीकृत माना जाएगा:

परंतु यदि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना जांच समिति को संतुष्ट करती है कि देरी का कारण उसके नियंत्रण से बाहर था, तो परियोजना जांच समिति लेखबद्ध कारणों के पश्चात उस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर सकती है और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश कर सकती है;

(15) पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि वाले प्रस्ताव को प्रभागीय वन अधिकारी के स्तर पर उसकी जांच के पश्चात उसके द्वारा सीधे नोडल अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और नोडल अधिकारी ऐसे प्रस्तावों को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा:

बशर्ते कि प्रभागीय वन अधिकारी, प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात, उनकी पूर्णता का आकलन करेगा और अपूर्ण प्रस्तावों को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को वापिस किया जाएगा।

(16) पांच हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि वाले प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को परियोजना जांच समिति की सिफारिश के साथ अग्रेषित किया जाएगा और उसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी;

(17) जहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को अनारक्षित, अपयोजन या प्रस्ताव में उपदर्शित अनुसार वन भूमि को पट्टे पर न देने का निर्णय लेते हैं, तो इसकी सूचना प्रयोक्ता अभिकरण को नोडल अधिकारी द्वारा दी जाएगी ।

(18) जहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए, गैर-वन प्रयोजनों के लिए अपयोजन या पट्टे पर वन भूमि आवंटित करने के लिए जैसा कि प्रस्ताव में उपदर्शित है, सैद्धांतिक रूप से सहमत होने पर अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी।

(10) प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप अनुमोदन:—

(1) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्तावों के सिवाय, निम्नलिखित से संबंधित अन्य सभी प्रस्तावों:-

(i) रैखिक परियोजनाएं;

(ii) चालीस हेक्टेयर तक वन भूमि; और

(iii) 25 मेगावाट से तक क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं, चाहे उनकी नदी बेसिन में प्रस्तावित स्थापित क्षमता कुछ भी हो, जहां नदी बेसिन की वहन क्षमता का निर्धारण करने के लिए संचयी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है;

(iii) 0.7 तक वितान घनत्व वाली वन भूमि का उपयोग, चाहे सर्वेक्षण की दृष्टि से इसका विस्तार कुछ भी हो, और जिन्हें अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) और इसके तदधीन जारी दिशानिर्देशों के अधीन छुट नहीं दी गई हो,

के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय में जांच पड़ताल की जाएगी और इनका उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट रीति से निपटारा किया जाएगा;

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न, सभी प्रस्ताव और निम्नलिखित प्रस्तावों, अर्थात् :-

(i) अनारक्षण;

(ii) खनन;

(iii) 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं, चाहे उनकी नदी बेसिन में प्रस्तावित स्थापित क्षमता कुछ भी हो, जहां नदी बेसिन की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए संचयी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है या किसी नदी बेसिन में परियोजनाओं की अनुमति देने पर केंद्रीय सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है;

(iv) अतिक्रमण का नियमितीकरण;

(v) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कार्योत्तर अनुमोदन,

की जांच और निपटारा इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

परंतु पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टे, जिसमें वन भूमि पर भौतिक कब्जा और उसे खंडित करना अंतर्वलित नहीं है, समुनदेशित करने के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(3) उप नियम (1)के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रीति में जांच की जाएगी, अर्थात्:

(i) 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि वाले सभी प्रस्तावों की क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसकी पूर्णता के संबंध में जांच की जाएगी, और जांच या निरीक्षण रिपोर्ट, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और उप नियम (5) के खंड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर सम्यक ध्यान देते हुए, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले सभी रेखीय प्रस्तावों, 'सर्वेक्षण' के प्रयोजन के लिए 0.7 तक कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि के उपयोग के लिए सभी प्रस्ताव, चाहे उनकी सीमा कुछ भी हो और पाँच हेक्टेयर से अधिक और चालीस हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाले अन्य सभी प्रस्तावों की क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनकी पूर्णता की जांच के पश्चात क्षेत्रीय सशक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय सशक्त समिति, खण्ड (ii) के अधीन इसे निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और आगे की जांच या स्थल का निरीक्षण, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और नियम (5) के खण्ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर सम्यक ध्यान देते हुए, पूर्व अनुमोदन प्रदान करेगी या कारण लेखबद्ध करके उसे निरस्त करेगी।

(iv) इस नियम के अधीन प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार क्षेत्रीय सशक्त समिति या वन उप महानिदेशक द्वारा किसी प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए लिए गए विनिश्चयों का, जब भी आवश्यक हो या अपेक्षित हो, का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ऐसे विषयों में केंद्रीय सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(4) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार को परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की निम्नलिखित रीति में जांच की जाएगी अर्थात्:-

(i) उपनियम (2) के अधीन सभी प्रस्तावों, को इनकी पूर्णता की जांच के पश्चात, उप नियम (5) के अधीन अपेक्षित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ या/यथा केंद्रीय सरकार द्वारा पूछे जाने पर, परामर्शदात्री समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ii) परामर्शदात्री समिति, खंड (i) में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों को, निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित ध्यान देते हुए परंतु उन्हीं तक सीमित न रहते हुए, जांच करेगी और आगे की जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा अनुमोदन पर विचार करने के लिए सिफारिशें करेगी:-

(क) वन भूमि का प्रस्तावित उपयोग, किसी गैर-स्थल विनिर्दिष्ट प्रयोजन जैसे कि कृषीय प्रयोजनों, कार्यालय या आवासीय प्रयोजनों से या अपने आवासों से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नहीं है।

(ख) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, ने प्रमाणित कर दिया है कि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया है और इन परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प साध्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता है।

(ग) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, ने अपनी सिफारिश करने से पूर्व, वन भूमि के अपयोजन के कारण वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले सभी मुद्दों पर विचार किया है।

(घ) राष्ट्रीय वन नीति के अधीन संबंधित अधिदेश;

(ड.) यदि वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि, किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ रिजर्व का एक हिस्सा है या अभिहित या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारा है या वनस्पति-जात और प्राणी-जात की किसी विलुप्तप्राय: या संकटग्रस्त प्रजाति का पर्यावास या गंभीर रूप से अपक्षरित जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का हिस्सा है तो क्या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, द्वारा पर्याप्त औचित्य दिया गया है और समुचित उपशमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं; और

(च) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, प्रतिपूरक वनीकरण करने के प्रयोजन से नियम 13 के अनुसार अपनी लागत या प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर समुचित भूमि के अपेक्षित विस्तार करने का उपबंध करता है।

(6) उप नियम (5) के अनुसार, सिफारिश करते समय समिति, शर्तों या निर्बधनों और ऐसे उपशमन उपायों, जो उसके विचार से प्रस्ताव के अधीन वन भूमि के अपयोजन के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेंगे, को भी लागू कर सकती है।

(7) केंद्रीय सरकार, परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, यथास्थिति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी या अस्वीकृत करेगी और इस बारे में राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण को संसूचित करेगी।

(8) यदि इसकी जांच करने के पश्चात प्रस्ताव अपूर्ण या उपलब्ध कराई गई सूचना असत्य पाई जाती है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण को एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगी;

(9) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपनियम 8 के अधीन संसूचना प्राप्त होने पर पूरी सूचना प्रस्तुत कर सकती है, जिसके पश्चात इन नियमों के अधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा :

परंतु, यदि वांछित सूचना, प्रयोक्ता अभिकरण से संबंधित है तो प्रयोक्ता अभिकरण , केन्द्रीय सरकार को अपेक्षित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजी जाएगी और प्रयोक्ता अभिकरण से ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करने पर विचार करने के लिए यथा स्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की टिप्पणियां की मांग कर सकती है।

(10) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यदि ऐसा चाहे, रेखीय प्रस्ताव का 'सिद्धांतत:' अनुमोदन प्राप्त करने और प्रतिपूरक वनीकरण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य जैसे प्रतिपूरक उपग्रहणों तथा वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं मृदा और आर्द्रता संरक्षण योजना जैसी उपशमन योजना की लागत, यथा लागू, अधीन, भारतीय वन अधिनियम,

1927 (1927 का 16) या स्थानीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण करने हेतु अभिज्ञात भूमि की अधिसूचना तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अनुपालन में 'अंतिम' अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व परियोजना कार्य प्रारम्भ करने हेतु 'कार्य अनुमति' प्रदान कर सकता है।

11. प्रस्ताव का अंतिम अनुमोदन :—

(1) नोडल अधिकारी, केंद्रीय सरकार से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और वन संरक्षक को इसकी सूचना दे सकता है;

(2) 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की एक प्रति प्राप्त होने पर प्रभागीय वन अधिकारी एक मांग-पत्र तैयार करेगा जिसमें प्रतिपूरक उदग्रहण की मद-वार रकम, जैसा लागू हो,प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा और साथ ही 'सैद्धांतिक' अनुमोदन में नियत शर्तों के अनुपालन में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और वचनबंधों की एक सूची के साथ प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित करेगा;

(3) प्रयोक्ता अभिकरण सूचना की प्राप्ति के पश्चात, प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को सौंप देगा, प्रतिपूरक उदग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबंध और प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि प्रभागीय वन अधिकारी को सौंप देगा;

(4) प्रभागीय वन अधिकारी, उप नियम (3) में निर्दिष्ट अनुसार अनुपालनरिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और इसकी पूर्णता की जांच करेगा और अनुपालन रिपोर्ट पर अपनी सिफारिश करेगा और इसे नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(5) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में विभाग के प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, यथास्थिति ऐसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को, अग्रेषित करेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त कर लेने और इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन 'अंतिम' अनुमोदन प्रदान करेगी और ऐसे विनिश्चय के बारे में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित करेगी।

(7) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन अधिकारों के बंदोबस्त को सुनिश्चित करने सहित यथा लागू, अन्य सभी अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालना करने के पश्चात, यथास्थिति अपयोजन, पट्टा समनुदेशित करने या अनारक्षण करने के आदेश जारी करेंगे।

(8) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अनारक्षण का अंतिम आदेश, जहां भी दिया गया है, वन भूमि के अनारक्षण की सूचना यथा स्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(9) अनुमोदन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल में की जाएगी।

(10) जहां सैद्धांतिक अनुमोदन में अधिरोपित की गई शर्त का अनुपालन यथा स्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, से दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक अनुमोदन को अकृत और शून्य समझा जाएगा;

परंतु, केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे प्रस्ताव जिनमें एक हजार हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि अंतर्वलित है, जिनमें सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरणवार (अंतिम) अनुमोदन निम्न अनुपालना के अध्यधीन प्रदान कर सकता है :

(क) प्रतिपूरक उदग्रहण का संदाय और प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए चिन्हित और स्वीकृत भूमि की अधिसूचना क्षेत्र के भाग के अनुपात में अनुपालन के लिए प्रस्तुत की गई; और

(ख) अन्यकोई विनिर्दिष्ट शर्त जिसे अनुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे के संबंध में अनुपालन की गई।

(11) उप नियम (7) के अधीन अंतिम अनुमोदन जारी करने और उप नियम (8) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के पश्चात, यथास्थिति संबंधित वन भूमि को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपा या समनिदेशित किया जा सकता है;

(12) क्षेत्रीय कार्यालय,'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करते समय लागू की गई सभी शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरी करेगा और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण वर्ष में कम से कम एक बार, सैद्धांतिक अनुमोदन के दौरान अधिरोपित की गई शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करेगी और मॉनीटरी रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(13) प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की संपूर्ण प्रक्रिया राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों से संलग्न **अनुसूची -।** में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

12. कार्य योजना के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव—

(1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से तैयार किए गए वन प्रभाग की प्रारूप कार्य योजना प्रस्तुत करेगा;

(2) प्रारूप कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ अपयोजित वन भूमि तत्स्थानी प्रतिपूरक वनीकरण भूमियां और उस पर वनीकरण की प्रास्थिति के विवरण सम्मिलित होंगे;

(3) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई प्रारूप कार्य योजना की राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, राष्ट्रीय वन नीति, के साथ और वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए अधिनियम की प्रस्तावना के साथ इसकी अनुरूपता की जांच संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय प्रारूप कार्य योजना को शर्तों के साथ-साथ या बिना किसी शर्तों के पूर्व अनुमोदन दे सकता है या प्रारूप कार्य योजना में अंतर्विष्ट उपबंधों में उपांतरण के साथ उस अवधि के लिए, जैसा कि उचित समझा जाए, अनुमोदन दे सकता है या कारण बताते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है;

(4) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या इसके अभिहित अधिकारी कार्य योजना के सभी या विनिर्दिष्ट उपबंध और उस अवधि जिसके लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है, के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन में कार्य योजना के निर्देशों का कार्यान्वयन करेंगे;

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अनुमोदित कार्यकारी योजना की मध्य-अवधि पुनर्विलोकन करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ समीक्षा रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा और क्षेत्रीय कार्यालय जांच करने के पश्चात अनुमोदन की शर्त में उपांतरण कर सकता है, या शेष अवधि के लिए पूर्व अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों में उपांतरण करते हुए एक नया पूर्व अनुमोदन जारी करेगा या इसके कारण लेखबद्ध करके मध्य-अवधि पुनर्विलोकन की सिफारिशों को अस्वीकार करेगा; और

(6) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत पात्र वार्षिक कार्य योजना की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी विचार एवं अनुमोदन किया जा सकता है।

(7) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (iv) के अधीन आने वाले सभी प्रस्तावों को चाहे उनका विस्तार कितना भी हो, संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे;

(8) उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की जांच क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी जो जांच के पश्चात, अनुमोदन दे सकता है या कारण लेखबद्ध करके उसे अस्वीकार कर सकता है;

(9) ऐसे प्रस्ताव जिनमें वन भूमि के संपूर्ण या कुछ भाग, जिनमें वितान सघनता 0.4 या अधिक हैं या मैदानों में बीस हेक्टेयर और पहाड़ों पर दस हेक्टेयर से अधिक आकार की अच्छी तरह से कटाई वाली वन भूमि के प्रस्ताव, जिनकी वितान सघनता कुछ भी हो, सम्मिलित हैं, क्षेत्रीय सशक्त समिति को अग्रेषित किए जाएंगे और क्षेत्रीय सशक्त समिति इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में इनसे निपटेगी और जबकि प्रस्ताव की जांच करते समय,

क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगी कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, राष्ट्रीय वन नीतिऔर वनों के संरक्षण और संवर्द्धन संबंधी अधिनियम की प्रस्तावना के अनुरूप है;

(10) इन नियमों के प्रयोजन के लिए "वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई" का आशय आकार में एक हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि से सभी प्राकृतिक वनस्पति को चाहे वह किसी भी रूप में हो उन्हें काटकर, उखाड़कर या जलाकर हटाना है लेकिन विनिर्दिष्ट आकार या प्रजातियों के वृक्षों को गिराने के अन्य प्रकारों को जिसमें उनका चयन द्वारा गिराना या ठूंठों को गिराना सम्मिलित है, पर "वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई" के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

13. प्रतिपूरक वनीकरण का सृजन—(1) प्रयोक्ता अभिकरण ऐसी भूमि उपलब्ध कराएगा जो न तो भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) या किसी अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित हो, न ही वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित भूमि हो और वह ऐसी भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) करने की लागत भी वहन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची-II के अनुसार होगी :

परंतु यह कि यदि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदान की गई गैर-वन भूमि या उसका कोई हिस्सा विनिर्दिष्ट सघनता के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण के अधीन ऐसी अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गित वन भूमि पर अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जो दी गई प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में ऐसी कमी के आकार से दोगुना हो, और प्रयोक्ता अभिकरण ऐसे लेखों पर आई अतिरिक्त लागत को भी वहन करेगी:

परंतु यह भी कि यदि प्रतिपूरकवनीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा रही गैर-वन भूमि में पहले से ही 0.4 वितान सघनता या उससे अधिक की वनस्पतिपैदा हो रही है, तो ऐसी भूमि पर पेड़ लगाने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समयबद्ध रीति से वन विभाग द्वारा वन फसल के सुधार के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है और, यथास्थिति इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, द्वारा दिया जाता है,तो अवक्रमितवन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला के आधार पर केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह भी कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो, और यथास्थिति इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, द्वारा दिया गया हो, तो अवक्रमितवन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण पर विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए राज्य सार्वजनिक के उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह और कि यदि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना के निष्पादन के लिए कोई गैर-वन भूमि अधिग्रहण करता है, तो केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों मामले में उपरोक्त अपवाद लागू नहीं होंगे।

(2) इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने के विनिर्दिष्ट सघनता ऐसी होगा कि, प्रतिपूरक वनीकरण ऑपरेशन के शुरू होने के पांचवें वर्ष में 0.4 या उससे अधिक के न्यूनतम वितान सघनता का वन विकसित हो, और इस क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति सामग्री है जो इसे परिपक्व कर न्यूनतम 0.7 वितान सघनता वाली भूमि बनाने में सक्षम बनाता है;

(3) वनेतर भूमि के उपलब्ध न होने की दशा में प्रतिपूरक वनीकरण निम्नलिखित भूमियों पर भी किया जा सकता है, यथास्थिति जो कि ऐसे अपयोजित भू-क्षेत्र के कम से कम दो गुना या जो वन भूमि अपयोजन की जा रही हो और उपलब्ध वनेतर भूमि के बीच के अंतर के बराबर, उपलब्ध कराई जाएगी और इनको भारतीय वन अधिनियम, 1927 या स्थानीय अधिनियमों के अधीन 'अंतिम' अनुमोदन से पूर्व संरक्षित वन (पीएफ) के रूप में अधिसूचित किया गया है:

IndiaCode

(क) राजस्व वन भूमि अर्थात जो सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज भूमि है लेकिन किसी भी कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं है और वन विभाग द्वारा प्रबंधित नहीं है जैसे राजस्व भूमि या जुड़पी जंगल या छोटे या बड़े झाड़ का जंगल याजंगल-झाड़ी भूमि यासिविल-सोयम याओरेन्ज वन भूमि और वन भूमि की अन्य सभी श्रेणियां, परंतु यह है की इन्हें राज्य वन विभाग के नाम पर हस्तांतरित और दाखिल -खारिज किया जाय;

(ख) अरुणाचल प्रदेश के अवक्रमित अवर्गीकृत वनों का प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोग किये जाने हेतु विचार किया जाएगा परंतु यह कि उन्हें राज्य वन विभाग के नाम पर हस्तांतरित और दाखिल-खारिज किया जाए;

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य की बंजर भूमि, जो संरक्षित वनों की श्रेणी में आती है, लेकिन न तो ऐसी जमीन पर सीमांकन किया गया है और न ही राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम पर हस्तांतरित या दाखिल-खारिज किया गया है, परंतु उन्हें राज्य वन विभाग के नाम पर हस्तांतरित और दाखिल - खारिज किया जाए;

(घ) पंजाब, भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा (4) और धारा(5) के अधीन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में, आने वाली भूमि, जो राज्य वन विभाग के प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं:

परंतु यह कि ऐसी भूमि तब तक राज्य वन विभाग के नाम पर अंतरित तथा दाखिल खारिज की जाएगी, जब तक कि मामले दर मामले के आधार पर उसे राज्य वन विभाग को अंतरित किए बिना, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अधीन उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित करने क लिए यथाविनिर्दिष्ट और सहमति न दी जाए;

(4) निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में अवक्रमित वन भूमि पर न्यूनतम दोगुनी सीमा तक प्रतिपूरक वनीकरण बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था पर विचार किया जा सकेगा, अर्थात.-

(क) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन क्षेत्र है और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त वनेतर भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा (**अनुसूची-III**)के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, इन नियमों से संलग्न है।

(ख) पारेषण लाइन परियोजनाएं, जिसमें वनेतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। वन भूमि के अपवर्तन के लिए आवेदन करते समय उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पारेषण लाइन परियोजना में आने वाली वनेतर भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं करने का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) टेलीफोन/ऑप्टिकल फाइबर लाइनें बिछाना;

(घ) रेशम कीट पालन के लिए शहतूत का वृक्षारोपण किया जाना ;

(ड) नदी के तल से गौण सामग्री का निष्कर्षण,

(च) संपर्क मार्गों, लघु जल कार्यों, लघु सिंचाई कार्यों, स्कूल भवन, औषधालयों, अस्पताल, सरकार के छोटे ग्रामीण औद्योगिक शेडों का निर्माण या खनन और अतिक्रमण के मामलों को छोड़कर इसी तरह के किसी अन्य कार्य, जो पहाड़ी जिलों में क्षेत्र के लोगों को सीधे लाभान्वित करते हैं और अन्य जिलों में जहां वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% से अधिक है, परंतु वन क्षेत्र का अपयोजन 5 हेक्टेयर से अधिक न हो।

(छ) फील्ड फायरिंग रेंज (एफएफआर) के वास्तविक प्रभाव क्षेत्र को अधिनियम के अधीन अपयोजन के लिए विचार किया जाता है या कुल वन क्षेत्र का 10% अपयोजित किया जाता है यदि फील्ड फायरिंग रेंज के पूरे क्षेत्र को अपवर्तित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

(ज) इस उप-नियम के अधीन, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजन से चयनित किसी अवक्रमित वन भूमि को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा, जब ऐसे अवक्रमित वन का वितान घनत्व 40 प्रतिशत से कम है और एसे क्षेत्र वन्यजीवों के प्रबंधन और, संरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही प्राकृतिक या प्रबंधित घास भूमि नही है।

(5) निम्नलिखित श्रेणियों के प्रस्तावों के मामले में प्रयोक्ता अभिकरण से काटे जाने वाले संभावित पेड़ों की संख्या के दस गुना अधिक वृक्षारोपण पर आने वाले खर्च या वनभूमि के अपयोजन के लिए आए आदेश में विनिर्दिष्ट संख्या

(न्यूनतम 100 पौधों की संख्या के अधीन) के रोपण पर आने वाले खर्च को प्रतिपूरक वनरोपण के शुल्क के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा:

(क) पुनर्वनरोपण के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से वन भूमि या उसके हिस्से में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को साफ़ करना;

(ख) एक हेक्टेयर तक वन भूमि का अपयोजन;

(ग) भू-तल पर अधिकार के बिना वन भूमि में भूमिगत खनन;

(6) वन क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के नवीकरण के संबंध में कोई प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि और वृक्षारोपण की लागत का संदाय पहले ही किया जा चुका है;

(7) खान की आंतरिक सीमा के साथ सुरक्षा क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए नियतवन भूमि के अपयोजन के संबंध में, प्रतिपूरक वनीकरण बढ़ाने के उपबंध, जैसा कि अपयोजन के लिए प्रस्तावित संपूर्ण वन क्षेत्र में लागू है, सुरक्षा क्षेत्र में स्थित वन भूमि के बदले में भी लागू होंगे।

(8) इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में उपबंधित उपबंधो के अनुसार वन्यजीव गलियारों और संरक्षित क्षेत्रों में अवस्थित वन भूमि के समीप प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अभिज्ञात वनेतर भूमि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

14. प्रतिपूरक वनीकरण का प्रबंधन—

(1) नियम 13 के उप-नियम 1 के के अधीन विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपयुक्त आकार के कंक्रीट के खंभों द्वारा सीमांकित किया जाएगा और सभी विल्लंगमों से मुक्त करके, राज्यवन विभाग या संघ राज्य क्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया जाएगा, और संबंधित वन भूमि को अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 की अधिनियम संख्या 16) की धारा 29 के अधीनया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा;

(2) उक्त वन अपयोजन प्रस्ताव के भाग के रूप में अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित और निश्चित की गई भूमि का रखरखाव और वनीकरण किया जाएगा और तत्स्थानी वन भूमि के अपयोजन का आदेश जारी होने के 1 वर्ष के भीतर प्रतिपूरकवनीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और केन्द्रीय सरकार प्रतिपूरकवनीकरण के तौर तरीकों पर मागदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है, जिसमें वे अभिकरण भी सम्मिलित होंगे जो प्रतिपूरकवनीकरण कर सकते हैं;

(3) यदि वन भूमि, जिसका अपयोजन किया जाना है, ऐसे किसी पहाड़ी या पर्वतीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में है जिसके भौगोलिक क्षेत्र का दो तिहाई से अधिक वन क्षेत्र हैया वह ऐसे किसी दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है जिसका भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक वन क्षेत्र है तो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए उस दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण, मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण और भूमि बैकों का सृजन किया जा सकता है।

परंतु, ऐसे मामलों में प्रतिपूरकवनीकरण के लिए धनराशि उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के राज्यप्रतिपूरकवनीकरणनिधि में स्थानांतरित की जाएगी जिसमें प्रतिपूरकवनीकरण हेतु भूमि की पहचान की गई है, और प्रतिपूरक उदग्रहण की गई बची हुई धनराशि उस राज्य सरकार यासंघ राज्यक्षेत्र के प्रतिपूरकवनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में जमा की जाएंगी जिनमें वन भूमि को अपयोजितकरने का प्रस्ताव रखा गया है।

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में, जहां उप-नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र की वन भूमि की प्रतिशत्ता को पूरा न किए जाने के कारण उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण करना संभव नहीं है, जहां वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है या अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, केंद्रीय सरकार जनहित में मामला-दर-मामला आधार पर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण की अनुमति दे सकता है;

(4) (क) कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनयथास्थिति,प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजन के लिए वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक भूमि बैंक बना सकता है;

(ख) भूमि बैंक का न्यूनतम आकार 25 हेक्टेयर का एकल ब्लॉक होगा:

परंतु, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या तत्समय प्रवृत्तकिसी अन्य विधि के अधीनवन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में निरंतर भूमि बैंक होने की दशा में,संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व या अभिहित या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर के भीतर जमीन के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(ग) उप नियम (5) के अधीन अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के अधीन आने वाली भूमि को भूमि बैंक में सम्मिलित किया जा सकता है।

(5) (क) केंद्रीय सरकार, धारा 2 के उप-धारा(1) अधीन पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण तंत्र का निर्माण कर सकती है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यायितप्रतिपूरक वनीकरण अर्जित किया जा सकता है यदि उसने ऐसी भूमि पर वनीकरण किया हो जिसपर अधिनियम लागू नहीं होता है और वह भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो;

(ग) कोई वनीकरण प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण में गिना जाएगा यदि ऐसी भूमि में मुख्य रूप से 0.4 या उससे अधिक के वितान सघनता वाले पेड़ों से बना वनस्पति क्षेत्र हैं और पेड़ कम से कम पांच वर्ष पुराने हैं;

(घ) एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.4 या अधिक वितान सघनता के साथ एक हेक्टेयर क्षेत्र के वनीकरण को विकसित करके अर्जित किया जाएगा। 0.4 वितान सघनता से कम या एक हेक्टेयर भूमि से कम के क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण नहीं होगा;

(ड.) उप-नियम (13) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण की प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण से अदला-बदली की जा सकती है,

परंतु प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण न्यूनतम दस हेक्टेयर के ब्लॉक को कवर करे और उस क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार बाड़ लगाई गई हो।

परंतु यह और कि किसी विधि के अधीन वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में स्थित किसी भी आकार के प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण, संरक्षित क्षेत्र, बाघ रिजर्व या अभिहित अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर के साथ प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बदला जा सकता है।

(च) राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या बाघ रिजर्व और अभिहित या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर से किसी गांव को स्वैच्छिक रूप से पुन:स्थापन करने के कारण वनेत्तर भूमि खाली करने से अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-II के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा और प्रयोक्ता द्वारा अभिकरण नियम (13) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के बदले उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है;

(छ) इस नियम के अधीन चिन्हित किए गए प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण का सीमांकन उपयुक्त आकार के ठोस स्तंभों द्वारा किया जाएगा और उस भूमि को सभी विल्लंगमों से मुक्त करते हुए, राज्य सरकार वन विभाग या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वन विभाग को सौंप दिया जाएगा और इसे इस अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) यातत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

(ज) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के लिए इसकी अदला-बदली के प्रयोजन से उसके स्टॉक रजिस्ट्री तथा प्रबंधन और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक उसके रखरखाव की लागत के बारे में एक विस्तृत मार्गदर्शक सिंद्धांत जारी कर सकती है।

(झ) प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पंजीकृत सभी अस्तित्व ग्रीन क्रेडिट नीति कार्यान्वयन नियम, 2023 के अधीन ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री का रजिस्ट्रीकरण करेंगे और वन भूमि के अपयोजन के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण की उनकी पात्रता के अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट नीति कार्यान्वयन नियम, 2023के अधीन प्रत्यायित प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए भी ग्रीन क्रेडिटों का आवंटन किया जा सकेगा।

15. इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही—

(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना जारी करके संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभागीय वन-अधिकारी उप-वन-संरक्षक के दर्जे के या उससे ऊपर के किसी ऐसे अधिकारी को जिसके अधिकारकारिता में वह

वन भूमि आती है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है या इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, किसी ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारकारिता में यह मामला आता हो, ऐसे किसी व्यक्ति या प्रधिकारी या संगठन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया हो।

(2) केंद्रीय सरकार, किए गए अपराध या उल्लंघन के संबंध में या तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या प्राधिकारणों या अन्य कोई स्रोत के माध्यम से या स्वतः जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, इसकी जांच के पश्चात् उस संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र और संबंधित प्राधिकारणों को, जिसके अधिकारकारिता के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसा अपराध किया गया है या उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, अधिकारकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे अपराधी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए जानकारी देगी, और ऐसा किया जाना ऐसी शिकायत को इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दायर किए जाने के पहले ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के लिए पूर्वाधार होगा राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर शिकायतें दर्ज करने के संबंध में एक आवधिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तुत करेंगे।

(3) सहायक महानिरीक्षक की श्रेणी या उससे उच्च पद वाले अधिकारी को केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना के द्वारा,इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के विरुद्ध धारा कानूनी कार्यवाही शुरू करने और शिकायत दर्ज करने के किए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(4) उप-नियम (1) और उप-नियम (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी अन्य प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनियमित तथा तदधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन से संबंधित ऐसी किसी रिपोर्ट, दस्तावेज़ या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे किसी अधिकारकारिता वाले न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक समझा जाए, और ऐसी राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

16. प्रकीर्ण:—(1) अधिनियम की धारा 1 (क) की उप धारा (1) के अधीन उपबंधित सरकारी अभिलेखों के स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एक वर्ष की अवधि के भीतर,एसी वन भूमियों, जिसके अंतर्गत प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अभिज्ञात वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वनभूमियों या सामुदायिक वन भूमि, सम्मिलित हो, जिन पर अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(2) वन भूमियों पर वृक्षों की कटाई जिसे इन नियमों के अधीन वनेत्तर प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है वहां वृक्षों की कटाई को न्यूनतम और अपरिहार्य संख्या तक सीमित रखा जाएगा तथा यह कार्य स्थानीय वन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। उससे प्राप्त वनोपज को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निपटान के लिए स्थानीय वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। जो स्थानीय ग्राम वासियों को उनकी घरेलू वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण करने को प्राथमिकता देगा।

(3) इन नियमों के अधीन प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर समुचित स्थायी सीमा चिन्हों के माध्यम से जमीन पर सीमांकित जो वन-भूमि वनेत्तर प्रयोजन उपयोग के लिए अपयोजित की गई है उसका प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन विभाग या भूमि स्वामित्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उपयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा तथा किसी गैर-वन उपयोग के प्रारंभ से पूर्वउसे वन-विभाग या भू-स्वामित्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को सौंप दिया जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन वन-आवरण के प्रयोजन के लिए भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में प्रयुक्त आंकड़ों और विवरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुरोध के साथ या इसके बिना किसी प्रस्ताव के संबंध में दिए गए अनुमोदन को रद्द कर सकती है और मामला दर मामला आधार पर, जमा किए गए प्रतिपूरक उदग्रहण को वापस करने का निर्णय ले सकती है।

(6) वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के अपयोजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों को अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात तब तक परिवर्तित या उपांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कुछ

आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न न हो या केन्द्रीय सरकार अनुपालन के किसी अतिरिक्त खंड को अधिरोपित करना आवश्यक न समझे।

(7) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) स्थानीय वन अधिनियम या अधिनियम से संबन्धित मुद्दे के कारण मुकदमें के अधीन या विचारधीन वन भूमि के प्रस्तावो पर ऐसे मामलों में न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य किया जाएगा और ऐसी भूमियों पर यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित निदेश, यदि कोई हो, के अनुसार निर्धारित की गई हो।

(8) ऐसे कोई प्रस्ताव जो वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 या वन (संरक्षण) नियमावली, 2022 के उपबंधों के अधीन पहले से ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं और वर्तमान में सैद्धांतिक या अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केंद्रीय सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों में विचाराधीन हैं, पर निम्न प्रकार से कार्य किया जाएगा, अर्थात:

(i) सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए किन्हीं प्रस्तावों को मौजूदा नियमों के उपबंधों के तहत लिया जाएगा और उन पर कार्यवाही की जाएगी तथा उनको सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तो में उपांतरण किए बिना अंतिम अनुमोदन प्रदान करने योग्य समझा जाएगा।

(ii) वर्तमान नियमों का कोई उपबंध उन प्रस्तावों पर प्रयोज्य होगा जिन्हे अधिनियम के अधीन अभी तक सैद्धांतिक अनुमोदन मिलना बाकी है।

अनुसूची-I

केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा

[नियम 8(1), नियम 9, नियम 10 और नियम 11 देखें]

कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण/प्राधिकारी		**क्षेत्रफल (हेक्टेयर)/कार्य दिवस**			
		5*तक	5 से 40*	40 से 100*	100*से अधिक
क.राज्य स्तर	परियोजना जांच समिति	0	30	30	30
	डीसीएफ/जिला कलेक्टर	10	10	10	20
	डीसीएफ/सीएफ/नोडल अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण	5	5	20	20
	नोडल अधिकारी/पीसीसीएफ द्वारा कार्रवाई	5	10	15	15
	राज्य सरकार	10	15	15	15
	उप-योग	30	70	70	100
ख. क्षेत्रीय कार्यालय	पूर्णता की जांच करने के लिए परीक्षण	3	3	3	3
	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण एवं कार्रवाई	5	5	5	5
	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण	0	0	15	15
	क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन	0	20	20	20
	सक्षम प्राधिकारी (सीए) द्वारा कार्रवाई और अनुमोदन	5	5	5	5
	सीए के अनुमोदन की संसूचना	2	2	2	2
	कुल	15	35	50	50
	कुल (क+ख)	45	105	120	150
ग. पर्यावरण, वन	पूर्णता की जांच करने के लिए परीक्षण	3	3	4	4

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	प्रस्ताव का परीक्षण एवं कार्रवाई	6	6	5	5
	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण	10	10	20	20
	परामर्शदात्री समिति	20	20	20	20
	सक्षम प्राधिकारी (सीए) द्वारा अनुमोदन	10	10	10	10
	सीए के अनुमोदन की संसूचना	1	1	1	1
	कुल	50	50	60	60
	कुल (क+ग)	85	120	160	160

*उन प्रस्तावों के लिए समय-सीमा विहित की गई है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या प्रयोक्ता अभिकरण से अतिरिक्त विवरण मांगने में लगे समय के अलावा सभी प्रकार से पूर्ण हैं।

'अंतिम' अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

स्तर	गतिविधि	समय (दिन)
राज्य स्तर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक शुल्क के संदाय के लिए मांग पत्र जारी करना	2
	नोडल अधिकारी द्वारा मांग पत्र का अनुमोदन	3
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक शुल्क का संदाय और दस्तावेज़/प्रमाणपत्र जमा करना	5
	डीएफओ द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की जांच किया जाना और डीएफओ द्वारा सीएफ/सीसीएफ को सूचित करते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नोडल कार्यालय को पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित किया जाना।	5
	नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की जांच किया जाना और कमियों, यदि कोई हो, को अनुपालन के लिए डीएफओ को जारी किया जाना, या पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट को एमओईएफसीसी/क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना।	10
	उप-योग	25
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यालय	अनुपालन रिपोर्ट की जांच, प्रयोक्ता अभिकरण से काम्पाखाते में प्राप्त प्रतिपूरक उद्ग्रहण की अदायगी की पुष्टि करना और कमियों का मुद्दा, यदि कोई हो, या स्तर-II अनुमोदन को जारी करना	20
	उप-योग	20
	कुल योग	45

अनुसूची- II

[नियम 13 (1) और नियम 14 (4) देखें]

प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित भूमि आवश्यकता के लिए उपबंध

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) भूमि का विवरण	वनेत्तर उपयोग के लिए अपयोजित की गई वन भूमि की तुलना में प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का आकार
(1)	(2)	(3)
1.	भूमि जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं है	समतुल्य
2.	भूमि जो सरकारी रिकार्ड में 'वन' के रूप में अभिलिखित है	दो गुणा

	परंतु निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण नहीं करती हैं : (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वन अधिसूचित होना। (ख) वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित करना। (केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)।	
3.	अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गीकृत वनभूमि। (यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)	दो गुणा
4.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में पच्चीस हेक्टेयर या उससे ज्यादा के आकार की भूमि । दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता न हो; ऐसे मामलों में प्रयोक्ता अभिकरण को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	अधिकतम पच्चीस प्रतिशत की छूट के अधीन दस हेक्टेयर के प्रत्येक अतिरिक्त ब्लॉक या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत कम। यह प्रतिशत केवल पच्चीस हेक्टेयर के न्यूनतम आकार से अधिक अधिगृहीत अतिरिक्त ब्लॉक आकार पर प्रयोज्य होगा।
5.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में जो भूमि 25 हेक्टेयर आकार से कम है परंतु 10 हेक्टेयर से अधिक है। यदि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता पच्चीस हेक्टेयर से कम है लेकिन आकार में दस हेक्टेयर से अधिक है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के उपबंध लागू नहीं होंगे लेकिन प्रयोक्ता अभिकरण को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	प्रत्येक पांच हेक्टेयर लघु ब्लॉक आकार या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अधिक
6.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचित सीमा के अधीन अवस्थित है।	पच्चीस प्रतिशत कम
7.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिवर्ज के साथ अन्य संरक्षित क्षेत्र और अनिहित या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, की अधिसूचित सीमा की निरंतरता में स्थित है।	पन्द्रह प्रतिशत कम
8.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित वन भूमि के निकटवर्ती स्थित है। किसी भी आकार की प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह किसी विधि के अधीन अधिसूचित वन भूमि के पास हो।	दस प्रतिशत कम

9.	प्रतिपूरक वनीकरण भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व से गांव (वनेत्तर भूमि में स्थित), के संपूर्ण तथा स्वैच्छिक पुन:स्थापन/आवास सेऐसे अभयारण्य उद्यान या रिजर्व, या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व के साथ अन्य संरक्षित क्षेत्र और नामनिर्दिष्ट/चिन्हित वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, यथास्थिति, के बाहर वनेत्तर पर उपलब्ध कराई गई।	(क) राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव अभयारण्य/ बाघ रिजर्व में गांव या आवास स्थल को खाली कराने के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के बराबर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान से छूट। **टिप्पण:** "शुद्ध वर्तमान मूल्य" का प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 2 के खंड (ञ) में समनुदेशित अर्थ वही होगा। (ख) स्वैच्छिक पुन:स्थापन के माध्यम से एक गांव द्वारा खाली किए गए स्थान पर (वनेत्तर भूमि: अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण) 1:1.25 के अनुपात में प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (परंतु इसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व, के भाग के रूप में तथा संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी अधिसूचित किया जाए) (ग) अतिरिक्त प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.5 हेक्टेयर प्रति पुनर्स्थापित परिवार के मूल्य पर।

टिप्पणी 1: प्रयोक्ता अभिकरण या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुन:स्थापन स्वैच्छिक है।

टिप्पणी 2: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत योजनाओं के अधीन भी कोई क्षतिपूर्ति पुन:स्थापनकर्ता या प्रयोक्ता अभिकरण या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता को देय नहीं होगा।

टिप्पणी 3 : राज्य सरकार भी इस उपबंध का उपयोग कर सकती है, यदि ऐसी योजना पर कोई केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जाती है।

अनुसूची—III

राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र ।

[नियम 13 देखें]

सं..... दिनांक.....

मैं....., पदनाम..... (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि:

i. (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) के प्रत्येक जिले में उपलब्ध वनेत्तर भूमि, राजस्व भूमि, जुडपी जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, बड़े झाड़ का जंगल, जंगली झाड़ी भूमि, सिविल-सोयम भूमि और वन भूमि की अन्य ऐसी सभी श्रेणियों (वन विभाग के प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन भूमि को छोड़कर), जिन पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंध लागू होते हैं,से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की गई है; और

ii. मैंने इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए स्वयं की संतुष्टी हेतु आगे की आवश्यक जांच भी की है। इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक अभिलेखों की जांच और इस प्रकार की आगे की जांच के आधार पर, मैं प्रमाणित करता हूं कि संपूर्ण (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) मेंवन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंध लागू होने वाली और केंद्रीय सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार

वनेत्तर प्रयोजन के लिए अपवर्तित वन भूमि के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोग की जा सकने वाली वनेत्तर भूमि, राजस्व भूमि, ज़ुडपी जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, बड़े झाड़ का जंगल, जंगली झाड़ी भूमि, सिविल-सोयम भूमि और वन भूमि की अन्य श्रेणियों, (वन विभाग के प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन भूमि के अलावा) में आने वाली भूमि उपलब्ध नहीं है।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से आज.....दिनको जारी किया गया।

हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर

[फा.सं. एफसी-11/118/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2023

G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- -

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the 1st Day of December 2023.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "accredited compensatory afforestation" means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam.

(b) "Adhiniyam" means the Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980);

(c) "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Adhiniyam;

(d) "compensatory afforestation" means afforestation done in lieu of the diversion of forest land for non-forest purpose under the Adhiniyam;

(e) "compensatory levies" includes all money and funds specified in clauses (iii) and (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016);

(f) "Conservator of Forests" means Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, the Regional Chief Conservator of Forests or an officer equivalent to Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a forest circle having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government is required;

(g) "Deputy Director General of Forests (Central)" means head of the Regional Office appointed by the Central Government;

(h) "dereservation" means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof, for change in the legal status of a land statutorily or otherwise recognised as forest to any other category of land;

(i) "diversion" means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof for the use of any forest land for non-forest purpose or assignment of a lease of any forest land for non-forest purpose;

(j) "District Collector" includes Deputy Commissioner, to hold the charge of the Administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Adhiniyam is required;

(k) "Divisional Forest Officer" means Divisional Forest Officer, Deputy Conservator of Forests or an officer equivalent to the Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a Forest Division having

jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Adhiniyam is required;

(l) "land bank" means the lands identified or earmarked, as the case may be, by the State Government and Union territory Administration for raising compensatory afforestation in lieu of forest land proposed for diversion or diverted under the Adhiniyam;

(m) "linear project" means project involving linear diversion of forest land for the purposes such as roads, pipelines, railways, transmission lines, slurry pipeline, conveyor belt etc.;

(n) "National Working Plan Code" means a code prepared by the Central Government for the preparation of Working Plans;

(o) "Nodal Officer" means any officer not below the rank of Chief Conservator of Forests, authorised by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or the senior most officer in the Forest Department of the concerned Union territory, if there is no post of Chief Conservator of Forests or above in the Department, for the purpose of implementation of the Adhiniyam and rules thereof and to deal with and to make correspondence with the Central Government, in the matter of forest conservation;

(p) "Project Screening Committee" means the Project Screening Committee constituted under rule 8;

(q) "Regional Empowered Committee" means the Regional Empowered Committee constituted under sub-rule (1) of rule 6;

(r) "Regional Office" means a Regional Office established by, and controlled by the Central Government for the purpose of these rules;

(s) "survey" means any activity to be taken up prior to initiating commissioning of a project or any activity undertaken for the purpose of exploring, locating or proving mineral deposits including coal, petroleum and natural gas before carrying out actual mining in the forest land, that includes survey, investigation, prospecting, exploration, including drilling therefor, etc.;

(t) "technological tool" means Geographical Information System based digital tools such as Decision Support System facilitating the decision making process of proposal seeking prior approval under the Adhiniyam;

(u) "user agency" means any person, organisation or legal entity or company or Department of the Central Government or State Government or Union territory Administration submitting a proposal under section 1 of the Adhiniyam;

(v) "working permission" means permission granted to linear projects before final approval to mobilise the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretisation, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified in the in-principle approval;

(w) "Working Plan" means the document prepared as per the provisions of the National Working Plan Code published by the Central Government from time to time and having prescriptions for scientific management of the forests of a particular Forest Division for a specified period;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Adhiniyam shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Adhiniyam.

3. Constitution of Advisory Committee. - (1) The Central Government may, by an order, constitute an Advisory Committee to advise the Central Government with regards to the grant of approval under sub-section (1) of section 2 in respect of proposals referred under sub-rule (2) of rule 10; and any matter connected with the conservation of forests referred to the Advisory Committee by the Central Government.

(2) The Advisory Committee shall consist of the following persons, namely: -

(a) Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Chairperson;

(b) Additional Director General of Forests, dealing with the forest conservation in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;

(c) Additional Director General of Forests, dealing with wildlife in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;

(d) Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare – Member;

(e) Three non-official experts to be nominated by the Central Government representing one each from the fields of ecology, engineering and development economics – members;

(f) Inspector General of Forests dealing with forest conservation and Adhiniyam thereof – Member-Secretary

(3) The Chairperson may co-opt the domain experts as special invitees to a meeting of the Advisory Committee.

(4) The Chairperson shall preside over the meeting of the Advisory Committee and in his absence, the Additional Director General of Forests, dealing with forest conservation, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall preside over the meeting.

4. Terms and conditions of non-official Members of Advisory Committee. –

(1) A non-official Member shall hold his office for a period of up to two years from the date of his nomination or as specified by the Central Government.

(2) A non-official Member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, or insolvent or is convicted for an offence which involves moral turpitude.

(3) A non-official Member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Advisory Committee without any sufficient cause or reason.

(4) Any vacancy caused by any reason mentioned in clauses (b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years.

(5) The non-official Members of the Advisory Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group 'A' post.

(6) Provided that where a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature has been appointed as a member of the Advisory Committee, he shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.

5. Conduct of business of the Advisory Committee.—(1) The Chairperson of the Advisory Committee shall call the meeting of the Committee at least once a month, whenever considered necessary;

(2) the meeting of the Advisory Committee shall ordinarily be held at New Delhi except when the Chairperson considers it necessary to inspect the proposed land, then the Chairperson may direct the meeting to be held at a place from where the proposal can be inspected.

(3) the quorum of the meeting of the Advisory Committee shall be five including the Chairperson.

(4) The Member-Secretary shall prepare an agenda of the meeting and present the proposals and matters referred to the Advisory Committee by the Central Government.

(5) The Advisory Committee shall examine in its meeting the proposal or the matter and, in urgent cases, the Chairperson may direct the proposal or the matter to be sent to the members for the their opinion, which shall be furnished to the Committee within the stipulated time.

(6) the user agency may be allowed to attend the meeting of the Advisory Committee for such duration as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.

(7) After the examination of the proposal or the matter, the Advisory Committee shall make its recommendation/advise to the Central Government.

6. Constitution of Regional Empowered Committee.—(1) The Central Government may, by an order, constitute a Regional Empowered Committee at each of the Regional Offices to examine proposals referred to it under sub-rule (3) of rule 10 and grant approval or rejection of proposals under sub-section (1) of section 2.

(2) The Regional Empowered Committee at each of the Regional Offices shall consist of the following persons, namely: -

(a) Deputy Director General of Forests (Central) or an officer nominated by the Central Government – chairperson;

(b) Three non-official members from amongst eminent persons who are experts in the field of forestry and allied disciplines – members;

(c) The senior-most officer amongst officers of the rank of Conservator of Forests and Deputy Conservator of Forests in the Regional Office – member-secretary.

(3) The chairperson of the Regional Empowered Committee may co-opt the domain experts as special invitees to the meeting.

(4) One representative each from the Forest Department and Revenue Department of the State or the Union territory Administration, not below the rank of Director to the Government of India, shall be invited by the Regional Empowered Committee to attend the meeting as a special invitee, in the examination of the proposals.

(5) Terms and conditions of non-official members of Regional Empowered Committee.—

(1) A non-official member shall hold his office for a period of up to two years from the date of his nomination.

(2) A non-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, insolvent, or is convicted for an offence involving moral turpitude.

(3) A non-official member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Committee without any sufficient cause or reason.

(4) Any vacancy of a member in the Regional Empowered Committee caused by any reason mentioned in sub-rules (2) and (3) shall be filled by the Central Government for the remaining term of the member in whose place vacancy has arisen.

(5) The non-official members of the Regional Empowered Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group 'A' post carrying the same scale of pay.

(6) Provided that where a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature has been appointed as a member of the Advisory Committee, he shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.

7. Conduct of business of Regional Empowered Committee. —The Regional Empowered Committee shall conduct its business as follows, namely:—

(1) The chairperson of the Regional Empowered Committee shall hold the meeting whenever considered necessary, but not less than once a month.

(2) The meetings of the Regional Empowered Committee shall be held at the headquarters of the Regional Office:

Provided that where the chairperson of the Regional Empowered Committee is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred, he may direct that the meetings of the Regional Empowered Committee be held at a place other than headquarters of the Regional Office for such inspection of site;

(3) The chairperson of the Regional Empowered Committee shall preside over the meeting of the Regional Empowered Committee and in his absence, Deputy Director General of Forests holding the charge of other Regional Office or Inspector General of Forests dealing with the matter related to the Adhiniyam, as may be authorised by the Central Government, may chair the meeting of the Regional Empowered Committee.

(4) Every proposal referred to the Regional Empowered Committee for advice or decision shall be considered in the meeting of the Regional Empowered Committee:

Provided that in urgent case, the chairperson of the Regional Empowered Committee may direct that documents may be circulated and sent to the members of the Regional Empowered Committee for their opinion within the stipulated time.

(5) The quorum of the meeting of the Regional Empowered Committee shall be three.

(6) The user agency may be allowed to remain present for such duration during a meeting as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.

(7) The member-secretary shall prepare agenda of the meeting and present the proposals and matters connected with the Adhiniyam before the committee for making appropriate recommendations and decisions thereafter.

8. Constitution of Project Screening Committee.—(1) The State Government and Union territory Administration may, by an order, constitute a Project Screening Committee to examine the completeness of the proposal submitted under clauses (i), (ii) or (iii) of sub-section **(1)** of section 2 of the Adhiniyam.

(2) The Project Screening Committee shall consist of the following persons, namely:-

a. Nodal Officer – chairperson;

b. Concerned Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests – member;

c. Concerned Divisional Forest Officer- member;

d. Concerned District Collector or his representative (Not below the rank of Deputy Collector) –member;

e. Divisional Forest Officer in the office of Nodal Officer- member-secretary

(3) The Project Screening Committee shall meet at least twice every month and the quorum of the meeting of the Project Screening Committee shall be three.

(4) The Project Screening Committee shall, after examination of the proposals, make recommendation to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

9. Proposals for prior approval of Central Government.—(1) The approval shall be accorded by the Central Government in two stages, namely, (i) 'In- Principle' approval; and (ii) 'Final' approval.

(2) The user agency shall submit an application to the State Government or Union territory Administration for approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam for dereservation of forest land, use of forest land for non-forest purposes or for assignment of lease online, through the web portal of the Central Government.

(3) A proposal identity number shall be generated online for the proposal submitted by the user agency and the said identity number shall be used for all future references;

(4) The copy of the proposal shall be simultaneously forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests and the Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration each of whom shall independently undertake preliminary examination of the completeness of documentation of the proposal.

(5) The Project Screening Committee shall examine the proposal received from the State Government or Union territory Administration, except proposals involving forest land of five hectares or less, that the proposal is complete in all respects and the proposed activity is not in any restricted area or category.

(6) The Project Screening Committee, for the purpose of screening, may call the user agency for clarification or additional documents, if any.

(7) The Project Screening Committee shall examine the proposal for its completeness and correctness and ensure that deficiencies in the proposal, if any, are identified and the member-secretary shall inform in this regard to the user agency.

(8) The proposals returned to the user agency shall be re-submitted after addressing the deficiency, as identified under sub-rule (7) above, within a period of ninety days, failing which the proposal shall stand de-listed.

(9) In case the user agency submits the information within the given time the proposal will be re-examined by the Project Screening Committee and in case the proposal is not complete in all respect then the same will be de-listed for the reasons to be recorded in writing:

Provided that the after de-listing of the proposal by the Project Screening Committee, the user agency, after addressing the deficiencies, can re-list the proposal only once using the same proposal identity number, as generated under sub-rule (2) above, which will again be examined by the PSC as per procedure given in sub-rule (5) to (7) above and in case the proposal is found still incomplete, it will be rejected and deleted permanently from the portal.

(10) The complete proposal with the proposal identity number shall be forwarded to concerned Divisional Forest Officer concerned, District Collectors, Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests for field verification.

(11) Where the forest land or part thereof included in the proposal is not under the management control of the Forest Department, the District Collector shall get the land schedule and map of the forest land included in the proposal authenticated online through joint verification by officers of the Revenue Department and Forest Department.

(12) In addition to every proposal verified in the field by the Divisional Forest Officer concerned, field inspection shall be simultaneously undertaken for every proposal that involves more than forty hectares of forest land by the Conservator of Forests concerned and for every proposal that involves more than hundred hectares of forest land by the Nodal Officer.

(13) The proposal, except involving forest land of five hectares or less, shall come up for consideration of the Project Screening Committee within the period specified in Schedule I, annexed to these rules, from

submission of the completed proposal under sub-rule (8), or (9), as the case may be, and the Project Screening Committee shall examine the feasibility of the proposal for the purpose of recommending it to the State Government or Union territory Administration along with mitigation measures to be adopted by the user agency:

Provided that the Project Screening Committee may seek from the user agency any clarification, additional detail or modification of the proposal in terms of change in forest land proposed for diversion on account of reasons such as minimising the requirement of forest land or minimising adverse impact on forest and wildlife, change in compensatory afforestation land proposed or change in measures proposed to be adopted by the user agency to mitigate the adverse impact of the project, and for this purpose it may ask the user agency to make a presentation:

Provided further that the proposal shall be reconsidered by the Project Steering Committee in case of timely submission of complete information and clarification and additional detail by the user agency online and in case the user agency modifies the original proposal substantially and makes major changes such as change in the forest land or land use plan, the Project Steering Committee may return the proposal to complete the steps given in sub-rule (7) to (11) and therefore the steps in this sub-rule shall also be repeated in such cases.

(14) Where the user agency fails to submit correct information, additional detail or a modified proposal within the period as specified, the proposal shall stand rejected*:*

Provided that if the user agency satisfies the Project Screening Committee that the reason for the delay was beyond its control, the Project Screening Committee may reconsider the proposal, after the reasons to be recorded in writing and recommend it to the State Government or Union territory Administration, as the case may be;

(15) The proposal involving forest land of up to five hectares, shall after their examination at the level of Divisional Forest Officer be forwarded by him directly to the Nodal Officer and the Nodal Officer shall forward such proposals to the State Government or Union territory Administration along with his recommendations:

Provided that Division Forest Officer, after receiving the proposals from the user agency, shall assess their completeness and incomplete proposal shall be returned to the user agency for re-submitting it with complete information.

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee's recommendation and the same shall also be forwarded to the Regional Office.

(17) Where the State Government or Union territory Administration, as the case may be, decides not to dereserve, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal, the same shall be intimated to the user agency by the Nodal Officer.

(18) Where the State Government or Union territory Administration agrees 'In-Principle' to dereserve the forest land, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal shall forward its recommendation to the Central Government.

10. In-Principle approval of the proposal.—

(1) Except the proposals referred to in sub-rule (2), all proposals related to.-

(i) linear projects;

(ii) hydro electric power projects of upto 25 MW capacity proposed in the river basin where cumulative impact assessment to assess the carrying capacity of the river basing has been done

(ii) forest land up to forty hectares; and

(iii) use of forest land having canopy density up to 0.7 irrespective of their extent for the purpose of survey which are not covered under the exemptions provided under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam and Guidelines issued thereunder;

shall be examined in the Regional Office and disposed off in the manner specified in sub-rule (3).

(2) All proposals, other than those referred to in sub-rule (1) and following proposals, namely:-

(i) dereservation;

(ii) mining;

(iii) hydro electric power projects of more than 25 MW and those falling in a river basin where cumulative impact assessment study to assess the carrying capacity of river basin has not been done or policy decision on allowing the projects in a river basin has not been taken by the Central Government;

(iv) regularisation of encroachment;

(v) ex-post facto approval involving violation of the provisions of the Adhiniyam;

shall be examined and disposed of by the Central Government in the manner specified under these rules.

Provided that, no approval is required for assignment of petroleum exploration licence or petroleum mining lease where the physical possession or breaking of forest land is not involved:

(3) The proposals received under sub-rule (1) shall be examined by the Regional Office in the following manner, namely:-

(i) all proposals involving forest land up to five hectares, shall be examined by the Regional Office for its completeness and after further enquiry or site inspection, as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under clause (ii) of sub-rule (5), 'In-Principle' approval or rejection may be granted by the Regional Office by recording the reasons.

(ii) all linear proposals involving forest land of more than five hectares, all proposals for use of forest land having canopy density upto 0.7 for the purpose of survey irrespective of their extent and all other proposals involving the use of more than five hectares and up to forty hectares forest land, shall be referred, after examination of its completeness, by the Regional Office to the Regional Empowered Committee.

(iii) the Regional Empowered Committee shall examine all proposals referred to it under clause (ii) and after further enquiry or site inspection as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under clause (ii) of sub-rule (5), may grant 'In-Principle' approval or reject the same by recording reasons.

(iv) The decisions taken by the Regional Empowered Committee or the Deputy Director General of Forests to grant 'In-principle' approval or to reject a proposal, in accordance with the power delegated under this rule, as and when necessary or required, may be reviewed by Central Government and decision taken by the Central Government in such matters shall be the final.

(4) Site inspection report shall be prepared for proposals specified in sub-rule (2) by the Regional Office and the same shall be submitted to the Central Government for consideration by the Advisory Committee.

(5) The proposals received by the Central Government shall be examined in the following manner, namely:-

(i) all proposals under sub-rule (2) along with the site inspection report as required under sub-rule (4) or as asked by the Central Government, shall be referred, after examination of its completeness, to the Advisory Committee.

(ii) the Advisory Committee shall examine all proposals referred to it in clause (i), giving due regards, but not limited to, the following, and after further enquiry, as deemed necessary, shall make recommendation to the Central Government for consideration for approval:-

(a) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason;

(b) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, has certified that it has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed;

(c) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before making his recommendation, has considered all issues having direct and indirect impacts on the diversion of forest land on the forest, wildlife and the environment;

(d) concerned mandates under the National Forest Policy;

(e) whether adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, if the forest land proposed to be used for non-forest purposes forms part of a national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, designated or identified tiger or wildlife corridor, or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying in the severely eroded catchment; and

(f) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost or at the cost of the user agency the requisite extent of appropriate land, as per rule 13, for the purpose of carrying out compensatory afforestation.

(6) While making recommendations under sub-rule (5), the Committee may also impose conditions or restrictions and such mitigation measures, which in its opinion would offset the adverse environmental impact of diversion of forest land under the proposal.

(7) The Central Government shall, after considering the recommendation of the Advisory Committee, grant 'In-Principle' approval subject to fulfilment of stipulated conditions or reject and communicate the same to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and to the user agency.

(8) In case the proposal is found incomplete or information provided is found to be incorrect after its examination, the Central Government shall inform the State Government or Union territory Administration and user agency for furnishing the required information within a specified period.

(9) The State Government or Union territory Administration on receipt of communication under sub-rule (8), may furnish the complete information, after which the proposal shall be considered for 'In-Principle' approval under these rules:

Provided, if the information sought pertains to the user agency, the user agency may directly furnish the requisite information to the Central Government with a copy to the State Government or Union territory Administration, and upon receipt of such information from the user agency, the Central Government, if it considers necessary, may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting 'In-Principle' approval.

(10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the 'In-principle' approval of linear proposal and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as of the Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, notification of the land identified for raising compensatory afforestation as Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local forest Act and compliance of other statutes including the Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of 'Final' approval.

11. Final approval of the proposal.—

(1) The Nodal Officer may, after receipt of the 'In-Principle' approval from the Central Government, communicate the same to the Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests.

(2) On receipt of a copy of the 'In-Principle' approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of compensatory levies , as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in 'In-Principle' approval.

(3) The user agency shall, after receipt of the communication, make payment of compensatory levies and hand over the land identified for compensatory afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of compensatory levies and handing over of compensatory afforestation land to the Divisional Forest Officer.

(**4**) The Divisional Forest Officer, after having received the compliance report as referred to in sub-rule (3), shall examine its completeness and make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer.

(5) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

(6) The Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord 'Final' approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency.

(7) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the 'Final' approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.—

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification of the provision contained in the draft Working Plan and for a period as it deems fit, or reject the same by recording the reasons therefor.

(4) The State Government or Union territory Administration or its designated officer shall carry out the prescriptions of the Working Plan to which the approval has been accorded by the Regional Office with respect to all or specific provision of the Working Plan and for the period for which the Working Plan has been approved.

(5) The State Government or Union territory Administration shall undertake a mid-term review of the approved Working Plan and submit the review report along with its recommendation to the Regional Office and the Regional Office may, after examination, modify the condition of approval or issue a fresh prior approval by modifying the provision of the previously approved Working Plan for the remaining period or reject the recommendations of mid-term review by recording reasons therefor.

(6) The Regional Office may also consider and approve eligible Annual Working Schemes, in case submitted by the State Government or Union territory Administration.

(7) All proposals under clause (iv) of sub-section (1) of section 2, irrespective of the size of forest land involved, shall be submitted online by the State Government or Union territory Administration to the concerned Regional Office.

(8) The proposals received under sub-rule (1) shall be examined by the Regional Office and after enquiry, the Regional Office may grant approval or reject the same by recording the reasons thereof;

(9) The proposals involving whole or part of forest land bearing a canopy density of 0.4 or more or proposals involving clear-felling of forest land of size more than twenty hectares in plains and ten hectares in hills irrespective of canopy density, shall be forwarded to the Regional Empowered Committee and the Regional Empowered Committee shall deal in the manner specified under these rules and while examining the proposal, the Regional Office shall ensure that the final decision is in conformity with the National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests.

(10) For the purpose of these rules "clear-felling of forest land" means removal of all natural vegetation in whatever form occurring, by felling, uprooting or burning them and removing them from the forest land over one hectare in size or more, but other types of felling of trees of specified size or species, including their selection felling or coppice felling shall not be considered as clear felling.

13. Creation of Compensatory Afforestation.— (1) The user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising compensatory afforestation over such land and the requirement of Compensatory Afforestation land shall be as per the **Schedule-II** annexed to these rules:

Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account:

Provided further that if the non-forest land being made available for compensatory afforestation already bears vegetation of 0.4 canopy density or more, there shall not be an additional requirement of planting of trees on such land but a programme for improvement of the forest crop shall be implemented by the Forest Department in a time-bound manner:

Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this clause is not available and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings on case to case basis:

Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this clause is not available, and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis:

Provided also in case the user agency acquires any non-forest land for the execution of the project, the exceptions in case of Central Government agencies, Central Public Sector Undertakings and State Public Sector Undertakings as above shall not be applicable.

(2) The specified density for raising compensatory afforestation under this sub-rule shall be such as to develop, a forest of a minimum canopy density of 0.4 or more in the fifth year of start of compensatory afforestation operation, and the area has sufficient vegetation stock to enable it to mature into land with canopy density of minimum 0.7.

(3) In case of non-availability of the non-forest land, the compensatory afforestation can also be raised over the following lands, which will be provided minimum double in extent of the area being diverted or difference between the forest land being diverted and the available non-forest land, as the case may be, is made available and they are notified as Protected Forests under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local Acts prior to 'Final' approval:

(a) revenue forest lands i.e. land recorded as forest in the Government records but not notified as forest under any law and not managed by the Forest Department viz. revenue lands or zudpi jungle or chhote-bade jhar ka jungle or jungle-jhari land or civil-soyam or orange forest lands and all other such categories of forest lands, provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department;

(b) the degraded Unclassed State Forests in the State of Arunachal Pradesh, shall be considered for compensatory afforestation provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department;

(c) the waste lands in the State of Himachal Pradesh, falling under the category of Protected Forests but have neither been demarcated on the ground nor transferred and mutated in the name of forest department in the revenue records, provided they are transferred and mutated in the name of State Forest Department;

(d) lands falling under section 4 and 5 of the Punjab Land Preservation Act, 1900 in the States of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh, which are not under the management and administrative control of the State Forest Department, provided that such lands will be transferred and mutated in the name of State Forest Department, unless as specified and agreed to by the Central Government to notify them under Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), without transferring them to the State Forest Department, on case to case basis;

(4) Special dispensation for raising compensatory afforestation over degraded forest land, minimum double in extent, may be considered in respect of following proposals, namely.—

(a) in the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area and a certificate on non-availability of suitable non-forest land for raising compensatory afforestation has been furnished by the State Government /Union territory Administration in the format specified under **Schedule-III,** appended to these rules;

(b) transmission line projects;

(c) laying of telephone or optical fibre lines;

(d) mulberry plantation undertaken for silkworm rearing;

(e) extraction of minor materials from the river beds;

(f) construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly benefit the people of the area in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 5 hectares;

(g) actual impact zone of the field firing range considered for diversion under the Adhiniyam or 10% of the total forest area diverted in case entire area of the field firing range is proposed for diversion;

(h) any degraded forest land for the purpose of compensatory afforestation, selected by the State Government or the Union territory Administration, under this sub-rule, may be accepted by the Central Government when the crown density of such degraded forest is below 40 percent and such areas is not a natural or managed grassland being used for the management and conservation of wildlife; and

(5) In the following categories of proposals, cost of plantation of ten times the number of trees likely to be felled or specified number of trees as may be specified in the order for diversion of forest land (subject to a minimum no. of 100 plants), shall be levied from the user agency towards compensatory afforestation-

(a) clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation;

(b) diversion of forest land up to one hectare; and

(c) Underground mining in forest land without surface rights.

(6) No compensatory afforestation shall be charged in respect of renewal of mining lease for the forest area for which land for compensatory afforestation and cost of plantation has already been paid.

(7) In respect of diversion of forest land earmarked for the maintenance of safety zone along the inner boundary of a mine, the provisions of the raising compensatory afforestation, as applicable in the entire forest area proposed for diversion, shall be applicable in lieu of forest land located in the safety zone.

(8) Non-forest land identified for raising compensatory, contiguous to forest land, located in the wildlife corridors and protected areas shall be incentivised as per the provisions provided in the **Schedule-II** appended to these rules;

14. Management of compensatory afforestation.—(1) The land specified under sub-rule (1) of rule 13, shall be demarcated by concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to the State Forest Department or Union territory Forest Department and the same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Adhiniyam.

(2) The land identified and earmarked for compensatory afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the compensatory afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of compensatory afforestation shall start within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land and the Central Government may issue guidelines on the modalities of compensatory afforestation, including agencies that may undertake compensatory afforestation.

(3) Subject to the consent of the State Governments or Union territory Administrations, in case the forest land to be diverted is in a hilly or mountainous State or Union territory having forest cover of more than two-third of its geographical area or situated in any other State or Union territory having forest cover of more than one-third of its geographical area, creation of compensatory afforestation, accredited compensatory afforestation and land banks may be taken up in another State or Union territory Administration:

Provided that, the money towards compensatory afforestation in such cases shall be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund of the State or Union territory in which the compensatory afforestation land has been identified and the remaining money of the compensatory levies shall be deposited in the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund of the State Government or Union territory Administration in which the forest land has been proposed to be diverted:

Provided further that in cases, where due to unfulfilment of the conditions specified in this sub-rule such as percentage of forest land of the geographical area, it is not possible to raise compensatory afforestation in the same State or Union territory Administration where diversion of forest land is proposed or in other States or Union territory Administration, the Central Government, in public interest, may allow, on case to case basis, compensatory afforestation in other State or Union territory Administration.

(4) (a) A State Government or Union territory Administration as the case may be, for the purpose of compensatory afforestation, may create a land bank under the administrative control of the Department of Forest;

(b) The minimum size of the land bank shall be a single block of twenty five hectares:

Provided that in case a land bank is in continuity of a land declared or notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for time being in force, protected area, tiger reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, there shall be no restriction on size of the land; and

(c) The lands covered under accredited compensatory afforestation earned under sub-rule (5) may be included in the land bank.

(5) (a) The Central Government may formulate an accredited compensatory afforestation mechanism to be used for obtaining prior approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam.

(b) the accredited compensatory afforestation may be earned by a person if he has established afforestation over land on which the Ahiniyam is not applicable and is free from all encumbrances;

(c) an afforestation shall be counted towards accredited compensatory afforestation if such land has vegetation composed predominantly of trees having canopy density of 0.4 or more and the trees are at least five years old;

(d) the accredited compensatory afforestation shall be earned by developing afforestation of one-hectare area with 0.4 or more canopy density, but there shall be no accredited compensatory afforestation for developing an area below 0.4 canopy density or below one-hectare land;

(e) the accredited compensatory afforestation may be swapped for compensatory afforestation proposed under rule (13):

Provided the accredited compensatory afforestation cover a block of minimum of ten hectares and has been fenced as per norms specified for compensatory afforestation in that area:

Provided further that accredited compensatory afforestation over land of any size situated in the continuity of land declared or notified as forest under any law, protected area, tiger reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, may be swapped for compensatory afforestation;

(f) the accredited compensatory afforestation earned out of vacation of non-forest lands on account of voluntary relocation of a village from a national park, wildlife sanctuary or tiger reserve and designated or identified tiger or wildlife corridors shall qualify for compensatory afforestation as per **Schedule –II** annexed to these rules, and may be used by a user agency in lieu of compensatory afforestation under rule (13);

(g) the accredited compensatory afforestation identified under this rule shall be demarcated with concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to Forest Department of the State

Government or Union territory Administration and the same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under the provision of any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Adhiniyam;

(h) The Central Government, from time to time, may issue detailed guidelines on creation of accredited compensatory afforestation, its stock registry and management for the purpose of its swap for compensatory afforestation land and cost of maintenance thereof up to a period specified by the Central Government.

(i) All entities registered for accredited compensatory afforestation shall register with the Green Credit Registry under the Green Credit Policy Implementation Rules, 2023 and besides their eligibility for compensatory afforestation in lieu of diversion of forest land, the accredited compensatory afforestation will also be eligible for allocation of green credits under the Green Credit Policy Implementation Rules, 2023.

15. Proceedings against persons guilty of offences under the Adhiniyam.-—

(1) The Central Government may, by notification in official gazette, authorise an officer of the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offense under the Adhiniyam is committed or violation of the provisions of the said Adhiniyam has been made, to file complaints against such person or authority or organization, prima-facie found guilty of offence under the Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.

(2) The Central Government, after receiving the information with respect to offence committed or violations made either through State Government or Union territory Administration or authorities or any other source or *suo moto,* shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction and it shall act as a prerequisite for the authorised officer before such complaints are filed within a period of forty five days from the receipt of such communication.The State Government and authorities concerned shall submit a periodic report to Regional Office, from time to time, regarding filing of the complaints.

(3) An Officer of the rank of Assistant Inspector General and above, may be authorized by the Central Government, by notification, to initiate legal proceedings and file complaints, against the offences committed under the Adhiniyam.

(4) The officer authorized by the Central Government in sub-rule (1) and (3) may require any officer or any person or any other authority of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to furnish to it within a specified period any reports, documents, and any other information related to contravention of the Adhiniyam or the rules made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction and every such State Government or officer or person or authority shall be bound to do so.

16. Miscellaneous.—(1) For the purpose of explanation of government records provided under subsection (1) of section 1A of the Adhiniyam, the State Governments and Union territory Administrations, within a period of one year, shall prepare a consolidated record of such lands, including the forest like areas identified by the Expert Committee constituted for this purpose, unclassed forest lands or community forest lands on which the provisions of the Adhiniyam shall be applicable.

(2) The felling of trees on forest lands approved for use for the non-forest purpose under these rules shall be restricted to a bare minimum and to an unavoidable number and shall be done under the supervision of the local Forest Department and the forest produce obtained therefrom shall be handed over to the local Forest Department for disposal in the manner specified by the State Government or Union territory Administration which shall give preference to distribution to local villagers for meeting their domestic bonafide requirement.

(3) The forest land diverted for non-forest purpose under these rules shall be appropriately surveyed jointly by the user agency and the Forest Department or the land-owning Department, demarcated on the ground by way of appropriate permanent boundary marks at the cost of the user agency and handed over by the Forest Department or land-owning Department to the user agency prior to starting of any non-forest use.

(4) For the purpose of forest cover under these rules, the figures and description used in the latest India State of Forest Report published by Forest Survey of India shall be referred.

(5) The Central Government may cancel approval accorded in respect of a proposal, with or without the request of the State Government or Union territory Administration and may decide to refund the compensatory levies deposited, on case to case basis.

(6) The conditions imposed by Central Government for diversion of forest land for the non-forest purpose shall not be changed or modified after a period of two years from the date of grant of final approval unless some exceptional circumstances arise or the Central Government considers it necessary to impose any additional clause of compliance.

(7) The proposals on forest land under litigation or *sub-judice* on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), local forest Act or Adhiniyam will be dealt as per the orders of the Courts or Tribunals passed in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if any, passed by the Courts or Tribunals.

(8) Any proposal which has already been submitted under the provisions of the Forest (Conservation) Rules, 2003 or Forest (Conservation) Rules, 2022 and are currently under consideration of the various authorities in the State Government or Union territory Administration or the Central Government for grant of 'In-principle' or 'Final' approval shall be dealt in the following manner, namely:-

(i) Any proposals granted 'In-principle' approval shall be dealt under the provisions of the extant rules and be processed and considered for grant of 'Final' approval without amending the conditions stipulated in the 'In-principle' approval; and

(ii) Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'In-principle approval under the Adhiniyam.

MoEFCode

Schedule-I

TIME LINE FOR PROCESSING OF PROPOSALS SEEKING PRIOR APPROVAL OF CENTRAL GOVERNMENT

[See rule 8 (1), rule 9, rule 10 and rule 11]

Processing Authorities		**Area (Ha)/working days**			
		Up to 5*	**5 to 40***	**40 to 100***	**More than 100***
A. State Level	Project Screening Committee	0	30	30	30
	DCF/District Collector	10	10	10	20
	Site inspections by DCF/CF/Nodal Officer	5	5	20	20
	Processing by Nodal Officer/ PCCF	5	10	15	15
	State Govt.	10	15	15	15
	Sub-Total	**30**	**70**	**70**	**100**
B. Regional Office	Scrutiny to examine completeness	3	3	3	3
	Examination and processing of the proposal by the Regional Office	5	5	5	5
	Site inspection by Regional Office	0	0	15	15
	Examination and approval by the Regional Empowered Committee	0	20	20	20

	Processing and approval by competent authority (CA)	5	5	5	5
	Communication of approval of CA	2	2	2	2
	Total	**15**	**35**	**50**	**50**
	Total (A+B)	**45**	**105**	**120**	**150**
C. MoEFCC	Scrutiny to examine completeness	3	3	4	4
	Examination and processing of the proposal	6	6	5	5
	Site inspection by Regional Office	10	10	20	20
	Advisory Committee	20	20	20	20
	Approval by competent authority (CA)	10	10	10	10
	Communication of approval of CA	1	1	1	1
	Total	**50**	**50**	**60**	**60**
	Total (A+C)	**85**	**120**	**160**	**160**

*****Time line is prescribed for the proposals which are complete in all respects excluding the time consumed in seeking additional details from the State/UT or User agency.

IndiaCode

PROPOSED TIME LINE FOR GRANT OF 'FINAL' APPROVAL

Level	Activity	Time (days)
State Level	Issue of demand note for payment of compensatory levies by the user agency	2
	Approval of demand note by the Nodal Officer	3
	Payment of compensatory levies and submission of documents/ certificate by the user agency	5
	Examination of the compliance report by the DFO and forwarding of complete compliance report by DFO to the Nodal Office FC Act, 1980 with intimation to the CF/CCF	5
	Examination of compliance report by the Nodal Officer and issue of shortcomings, if any, to the DFO for compliance, or forwarding of the completed compliance report to the MoEFCC / Regional Office	10
	Sub-Total	**25**
MoEFCC, New Delhi/ Regional Office	Examination of the compliance report, confirmation of remittance of compensatory levies realised from the user agency in to the CAMPA account and issue of shortcomings, if any, or State-II approval	20
	Sub-Total	**20**
	Grand Total	**45**

Schedule II

[See rule 13 and rule 14]

PROVISIONS FOR THE REQUIREMENT OF LAND RELATED TO COMPENSATORY AFFORESTATION

Sl. No.	Description of Compensatory Afforestation Land	Size of Compensatory Afforestation land as compared to forest land to be diverted for non-forest purpose
(1)	(2)	(3)
1.	Land to which provisions of the Adhiniyam are not applicable.	Equivalent.
2.	Land recorded as 'forest' in Government record but does not fulfill all of the following conditions:- (a) notified as forest under any other law for the time being in force (b) managed as forest by Forest Department. (*This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)*	Two times.
3.	Degraded notified or unclassed forest land. (*This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)*	Two times
4.	Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), provided is of size of twenty-five hectares or more in one block. Compensatory Afforestation land of less than ten hectares shall not be accepted unless the requirement of Compensatory Afforestation land is less than ten hectares in which case the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.	Five *per cent* less for every additional block size of ten hectares or part thereof subject to a maximum of twenty-five per cent rebate. This percentage will be applicable only on the additional block size acquired beyond the minimum size of twenty five hectares.
5.	Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), that is less than 25 hectares size but more than 10 hectares size in one block If the requirement of Compensatory Afforestation land is less than twenty-five hectares but more than ten hectares in size, the provision of excess land for Compensatory Afforestation shall not be applicable but the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.	Five *per cent.* more for every five hectares smaller block size or part thereof.
6.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) above and is located within the notified boundary of a protected area	Twenty-five *per cent.* less

MediaCode

7.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Serial No. (1) or (2) and is located in continuity of a notified boundary of a National Park or a Wildlife Sanctuary or area linking one protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors.	Fifteen *per cent.* less.
8.	Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) or (2) and is located adjacent to a forest land notified as forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law. Accredited Compensatory Afforestation land of any size may be accepted in case it is contiguous to a forest land notified under any law.	Ten *per cent.* less
9.	Compensatory Afforestation land made available from complete and voluntary relocation of a village/ habitation (situated in non-forest land) from a Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve, to a non-forest land outside such Sanctuary, Park or Reserve or area linking protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors, as the case may be.	(a) Exemption from payment of Net Present Value of forest land equivalent to the Compensatory Afforestation land by way of vacation of village or habitation from National Park/ Wildlife Sanctuary/ Tiger Reserve. Note: "Net Present Value" shall have the same meaning as assigned in clause (j) of section 2 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016). (b) Accredited Compensatory Afforestation in the ratio of 1:1.25 (Non-forest land: Accredited Compensatory Afforestation earned) so vacated by a village by way of voluntary relocation *(provided that the same shall be notified as part of the Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve and also notified as Protected Forest or Reserved Forest).* (c) Additional Accredited Compensatory Afforestation at the rate of 0.5 ha per relocated family.

Note 1: The user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer shall ensure that relocation is voluntary.

Note 2: No compensation under relevant schemes of the Central Government or State Government would be payable to such relocatees or user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer.

Note 3: The State Government can also use this provision, provided no central assistance on such scheme is availed.

Schedule-III

CERTIFICATE OF NON-AVAILABILITY OF LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION IN THE STATE/UNION TERRITORY TO BE ISSUED BY THE STATE GOVERNMENT//UNION TERRITORY ADMINISTRATION

[See rule 13(4)]

No…… Dated…….

I……..., Designation.....(Name of State/ Union Territory) do here by certify that:

i.

i. Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle jhari land, civil-soyam lands* and all other such categories of forest lands

(except the forest land under the management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are applicable, available in each district of…… (name of the State/UT) have been examined; and

ii. I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate. On the basis of examination of relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this Certificate, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle-jhari land, civil-soyam* lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire (name of State/UT)

Issued under my hand and seal on this.....day of……

Signature & Official Seal

[F. No. FC-11/118/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspect General of Forests

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.30 22:12:52 +05'30'